

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय

: : आदेश : :

भोपाल दिनांक: 14/06/2025

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) : राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के विभागीय संशोधित एकजाई आदेश दिनांक 05.06.2018 एवं संशोधित आदेश दिनांक 01.07.2019 की कण्डिका 3.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे:-

(क) एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रवृत्ति दी जायेगी।

(ख) उक्त बिन्दु क्रमांक (क) के अतिरिक्त शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिये आवश्यक शेष धनराशि योजनांतर्गत विद्यार्थियों को ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा देय होगी। पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् आगामी 05 वर्षों के लिये राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने पर सेवा काल के अनुपात में ऋण की अतिशेष राशि को कम माना जा सकेगा। उदाहरणतः 2.5 वर्ष कार्य करने पर 50% ऋण भुगतान किया हुआ माना जाएगा। 05 वर्ष की उपरोक्त सेवा पश्चात् अतिदेय राशि को शून्य मान्य किया जा सकेगा। 05 वर्ष की ग्रामीण क्षेत्र की कार्य करने की सेवा संबंधी शर्त पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में अनुपातिक रूप से शेष ऋण की राशि शासन को वापस किया जाना आवश्यक होगा।

(ग) मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लाभ के लिये NEET परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक डेढ़ लाख (1.5 लाख) के अंतर्गत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही

पात्र होंगे।

(घ) मध्यप्रदेश के मूल-निवासी विद्यार्थियों को **NEET** परीक्षा के माध्यम से मध्यप्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों /विश्वविद्यालयों (जिनके शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति या मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है) तथा केंद्र सरकार के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर यह लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

(ङ) यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र **2025-26** से प्रवेशित विद्यार्थियों पर प्रभावशील होगी।

(2) विभागीय संशोधित एकजाई आदेश दिनांक **05.06.2018** की कण्डिका-6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे:-

"योजना के प्रावधान एवं क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।"

(3) योजना के हितग्राही मध्यप्रदेश में ही 5 वर्ष के लिए कार्य करें, यह सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(4) योजना के क्रियान्वयन में सही एवं पात्र हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु योजना का पोर्टल अन्य समान योजनाओं के पोर्टल से समन्वित किए जाएंगे।

(5) स्वप्रमाणीकरण से आय के प्रमाणन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के साथ समन्वय कर विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

एकजाई परिपत्र पृथक से जारी किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Dr.Santosh Kumar Gandhi
Date: 14-06-2025
12:08:23

(डॉ.एस.के. गाँधी)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

म.प्र.शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1)

भोपाल दिनांक: 14/06/2025

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग (केवल तकनीकी शिक्षा)।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
7. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
11. निज सचिव, सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
12. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल।

14. समस्त जिला कोषालय, अधिकारी मध्यप्रदेश।

15. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हस्ता/-

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

म.प्र.शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास

एवं रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय

: : संशोधित एकजाई आदेश : :

भोपाल दिनांक 05-06-2018

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1): : राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 23/04/2018 को लिए गए निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में विभागीय आदेश 12 जून 2017, संशोधित आदेश दिनांक 31.7.2017, 24.8.2017, 30.8.2017, 5.9.2017 एवं 18.5.2018 को संशोधित स्वरूप में एकीकृत करते हुये एकजाई आदेश निम्नानुसार निर्गत किया जाता है:-

2. पात्रता की शर्तें:-

- 2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो, तथा
- 2.2 विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रुपये से कम हो, परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख तक है तथा वे बी.पी.एल. कार्डधारी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो कंडिका क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, को विशेष प्रकरण मानते हुये इनके संबंध में विभाग, समन्वय में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेगा।
- 2.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बारहवी की परीक्षा में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों एवं सीबीएसई/आईएससीएसआई द्वारा आयोजित बारहवी की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को योजना का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे विद्यार्थी जो कंडिका 3.1 से कंडिका 3.5 तक में उल्लेखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं तथा जिन्होंने वर्ष 2016 से पूर्व से ही इस कंडिका में उल्लेखित परीक्षाओं में निर्धारित अंक प्राप्त किये हैं, भी इस योजना में पात्र होंगे।

3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

- 3.1 इंजीनियरिंगक्षेत्र:- कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई(JEE) मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार के अन्तर्गत रैंक प्राप्त किया है, अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

- a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

- b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रुपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 1 लाख 50 हजार तक के अंतर्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

3.2

मेडिकल की पढ़ाई :- जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा। भारत शासन के ऐसे संस्थान, जो स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं, को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जावेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉन्ड रुपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉन्ड की राशि रुपये 25 लाख होगी।

3.3

विधि की पढ़ाई :- CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) अथवा स्वयं के द्वारा अयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.4

भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इयूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.5

राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों एवं पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (12वीं परीक्षा के आधार पर प्रवेश) को योजना के अंतर्गत शामिल किया जावेगा।

योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा।

4. योजना की अन्य शर्तें -

- 4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।
- 4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में देय होगा।
- 4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा।
- 4.4 सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापिस जमा करना चाहेंगे, ऐसा कर सकेंगे।

5. योजना का क्रियान्वयन -

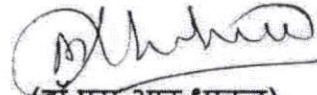
- 5.1 योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।
- 5.2 योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से लागू की गई है। संशोधित स्वरूप शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू होगा।
- 5.3 नोडल विभाग द्वारा इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जावेगा तथा योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक व्यय योजना बजट से देय होगा। इस हेतु योजना पर हुए व्यय का 03 प्रतिशत किन्तु प्रथम वर्ष के लिए रुपये 15 करोड़ निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित होगा।



इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

5. संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरीफिकेशन उपरांत संस्था को देय शुल्कों की पूर्ति संबंधित संस्थान/विद्यार्थी को ई-ट्रांसफर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट से की जायेगी।
- 5.6 ऐसे छात्र जिनके पास आधार नम्बर नहीं है उनको तीन माह के अन्दर आधार नम्बर प्रस्तुत करना होगा।
6. योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(डॉ. एम. आर. धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

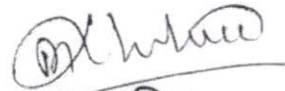
मांक एफ 5-6/2017/42(1)

भोपाल, दिनांक 5/6/2018

तिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय।
5. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
6. निज सचिव माननीय मंत्रीजी तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
7. निज सचिव प्रमुख सचिव म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
8. संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल।
10. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
11. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय

:: संशोधित आदेश ::

भोपाल, दिनांक 18-08-2023

क्रमांक एफ-5-6/2017/42-1:: राज्य शासन एतद् द्वारा "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" के विभागीय एकजाई आदेश 05.06.2018 की कंडिका 2.2 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है:-

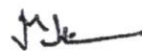
"विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 8 लाख रुपये से कम हो.

परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय रुपये 8.00 लाख तक है तथा वे बी.पी.एल. कार्डधारी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो कंडिका क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, को विशेष प्रकरण मानते हुये इनके संबंध में विभाग, समन्वय में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेगा।

परन्तु, ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के पश्चात् यथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आय की सीमा रुपये 8.00 लाख से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी।"

उक्त संशोधन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मनु श्रीवास्तव)

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

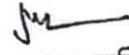
//2//

भोपाल, दिनांक 18-08-2023

पृ.क्रमांक एफ-5-6/2017/42-1

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
 2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
 3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
 4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/पशुपालन विभाग।
 6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग।
 7. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., सतपुड़ा भवन, भोपाल को अनुरोध है कि संशोधन अनुसार पोर्टल में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही करें।
 9. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
 10. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
 11. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 12. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल।
 13. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 14. स्टाफ पंजी
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 अपर मुख्य सचिव
 मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मेडिकल सम्बन्धी प्रश्न

प्रश्न - 12 मैंने नीट (NEET) की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ?

उत्तर - जी हाँ, आप इस योजना का लाभ एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए नीट (NEET) उत्तीर्ण वर्ष में ले सकते हैं। अन्य सभी पात्रता शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है।

प्रश्न - 13 क्या शासकीय एवं प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए बाण्ड भरना अनिवार्य है?

उत्तर - जी हाँ, इस योजना का लाभ एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए लेने पर बाण्ड भरना अनिवार्य है। बाण्ड की शर्तों हेतु विस्तृत एकजाई आदेश दिनांक 18/05/2018 का अवलोकन किया जा सकता है।

प्रश्न - 14 क्या बी.डी.एस. में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा। निजी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में योजना की पात्रता नहीं होगी।

प्रश्न - 15 क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्र शासन एवं मध्यप्रदेश शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। नीट (NEET) के अतिरिक्त केन्द्र शासन के ऐसे मेडिकल कॉलेज जो स्वयं की परीक्षा के आधार पर एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश देते हैं, में प्रवेश प्राप्त करने पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा।